

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

दिनांक 10.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा
राजस्व वाद संख्या 393/2025
रामाराम बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं हल्का पटवारी रेवाड़ा व भू.अ.नि. पचपदरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पचपदरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की जमाबन्दी संवत् 2079-2082 में खाता संख्या 84 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.स. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 01 | रेवाड़ा मैया | 84 | 103,120,163, 168,172, 228, 234 | रामला पुत्र घीसीया | रामाराम पुत्र घिसाराम |



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा एवं
सहायक कलक्टर, बालोतरा
शिविर प्रमारी, ग्रामीण सेवा शिविर-2025

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी रामाराम पुत्र घिसाराम तहसील पचपदरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा एवं
सहायक कलक्टर, बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
शिविर प्रमारी, ग्रामीण सेवा शिविर-2025